विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>**प्रकरण क्रमांक L00-23/15**</u>

श्री रूपसिंह ठाकुर पिता स्व. भान सिंह ठाकुर — आवेदक
होटल विवेक पैलेस, तुलाराम चौक,
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

(1) कार्यपालक निदेशक (मा.सं. एवं प्रशासन) — अनावेदकगण
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर।

(2) मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

(3) अधीक्षण अभियंता (ओ एण्ड एम.) वृत्त,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(4) कार्यपालन अभियंता (ओ एण्ड एम.) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

आदेश
(दिनांक 07.01.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 167/2015 श्री रूपसिंह ठाकुर विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) तथा अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से दिनांक 08.09.2015 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 17.11.2015 को सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि अनावेदक द्वारा उनके खेत में खम्बे खड़े कराये जाने पर अपनी आपत्ति से दिनांक 11.11.2014 को कनिष्ठ यंत्री तथा दिनांक 2.12.2014 को कार्यपालन यंत्री, जबलपुर क्षेत्र एवं मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र को लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई। परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही न करते हुए बिना मेरी अनुमति के खेत में पोल एवं डी.पी. खड़ी कर दी गई जिसे अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु उन्हें निर्देश देने का कष्ट करें।

03 आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि फोरम के निर्देश के अनुसार भी अनावेदक क्रमांक 4 (कार्यपालन यंत्री) अनावेदक क्रमांक–2 (मुख्य अभियंता, जबलपुर क्षेत्र) द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की।

04 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य का क्रियान्वयन विभाग द्वारा नियुक्त ऐजेन्सी से कराया जा रहा है यह कार्य अगस्त 2014 से प्रारंभ कर दिया गया था एवं जब तक आवेदक के खेत में पोल एवं डीपी खड़ी की जा चुकी थी तथा उस समय उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई । प्रथम बार आवेदक द्वारा दिनांक 11.11.2014 को आपत्ति ली गई जब तक कि विद्युत पोल एवं डीपी खड़ी की जा चुकी थी।

05 अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि उक्त कार्य जनहित में किया गया है तथा आवेदक के खेत में एक सिंगल पोल स्थापित किया गया । डीपी खेत की मेड़ पर लगाया गया है जिससे कि आवेदक को खेत में कार्य करने में कोई अड़चन उत्पन्न न हो और न ही उन्हें इससे क्षति पहुंचे।

06 सुनवाई के दौरान अनावेदक को फोरम द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन करने एवं हर संभव सहूलियत प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गये एवं अगली सुनवाई की तिथि तक संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

07 दिनांक 23.12.2015 को अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक संयुक्त निरीक्षण के लिए स्थल पर उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनकी अनुपस्थिति में विभिन्न कोणों से विछाई गई लाईन के 5 फोटोग्राफ्स लिये गये जो प्रस्तुत किये। जिससे कि विद्युत लाइन की स्थिति का पता चलता है। (ईओ–1)

08 दिनांक 23.12.2015 को पुनः सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत लोकपाल के निर्देश के अनुसार अनावेदक द्वारा स्थल का संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया, जबकि अनावेदक द्वारा दिनांक 26.11.2015 को ही अवगत कराया था कि चूंकि आवेदन संयुक्त निरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए डाली गई लाईन के फोटोग्राफ्स लाकर विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अतः आवेदक की संतुष्टि हेतु अनावेदक को पुनः आवेदक के साथ संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिए गए।

09 दिनांक 4.1.2016 को आवेदक सुनवाई में उपस्थित न होकर उनके द्वारा एक नक्शा फैक्स द्वारा भेजा गया। (ईओ–2) अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि संयुक्त निरीक्षण हेतु आवेदक कार्यालय में उपस्थित हुए एवं लाईन शिफ्ट करने का कोई विकल्प निकालने का अनुरोध किया। अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि जिस अनुसार आवेदक लाईन शिफ्ट कराना चाहते हैं वह तकनीकि दृष्टि से संभव नहीं है तथा आवेदक संयुक्त निरीक्षण के लिए तैयार नहीं हुए।

10 उपरोक्त प्रकरण में आवेदक का अभ्यावेदन फोरम का निर्णय एवं आवेदक तथा अनावेदक के प्रति उत्तर एवं उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क से यह तथ्य सामने आते हैं कि –

अ आवेदक द्वारा दिनांक 11.11.2014 एवं दिनांक 2.12.2014 को क्रमशः कनिष्ठ यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री, जबलपुर एवं मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र को खेत में पोल न खड़े करने हेतु आवेदन दिए थे, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही कोई विधिवत जबाव दिया गया।

ब अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के खेत से गई हुई लाईन जनहित में डाली गई है जो कि 220/33 केवी गुडगवां पनागर से निकल कर 33/11 केवी सब स्टेशन उर्दुआ के लिए खींची गई। यह कार्य विभाग द्वारा नियुक्त एजेन्सी के द्वारा कराया जा चुका है जिसका कि कार्य एजेन्सी द्वारा अगस्त 2014 से प्रारंभ कर दिया गया था।

स उक्त कार्य के अंतर्गत खम्बे खड़े करते समय किसी भी कृषक एवं आवेदक द्वारा पोल खड़े करने में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी। पहली बार आवेदक द्वारा दिनांक 11.11.2014 को आपत्ति दर्ज कराई गई जब तक कि खम्बे खड़े किये जा चुके थे जिसको कि तकनीकि दृष्टि से शिफ्ट करना संभव नहीं था। (ईओ–3)

द आवेदक द्वारा प्रथम शिकायत में यह अवगत कराया गया कि जब उनके यहॉ खम्बे खड़े हो रहे थे तब उनके द्वारा आपत्ति ली गई थी परन्तु लिखित में शिकायत दिनांक 11.11.2014 को की गई। मौखिक शिकायत एवं लिखित शिकायत में कितना अंतराल था आवेदक द्वारा इसे स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि मौखिक एवं लिखित शिकायत करने के दौरान पोल खड़े किये जा चुके थे या कार्य प्रगति पर था।

च अनावेदक द्वारा भी यह कहा जाना कि आवेदक के खेत में खम्बे अगस्त 2014 में ही खड़े कर दिये गये थे । इसकी पुष्टि हेतु उनके द्वारा यह बताया गया कि उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक 30.5.2014 को नियुक्त ऐजेन्सी को जारी किया गया था और दिनांक 30.12.2014 तक कार्य पूर्ण किया गया। परन्तु इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अगस्त 2014 तक आवेदक के खेत में खम्बे खड़े कर दिये गये थे।

11 उपरोक्त तर्कों एवं तथ्यों से यह सुनिश्चित करना कठिन है कि आवेदक की आपत्ति के समय खम्बे खड़े किये जा चुके थे अथवा कार्य प्रगति पर था। अतः इस संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 एवं विद्युत नियम 2005 में दिए गए प्रावधानों का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार –

विद्युत अधिनियम, 2003

(i) **धारा 67. पथो (Streets) रेलवे आदि के रूप में प्रारंभ करने के लिए उपबंध** (1) लायसेंसी, समय–समय पर किन्तु सदैव उसके लायसेन्स के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन उसके प्रदाय (सप्लाई) और पारेषण (ट्रांसमीशन) के क्षेत्र के भीतर, और जब उसके लायसेन्स के निबंधनों द्वारा सप्लाई के क्षेत्र के बिना विद्युत सप्लाई लाइनों को डालने (To lay down) या स्थापित (or place) करने को अनुज्ञात किया गया हो तब लाइनों को डाल सकेगा, रख सकेगा, और उस क्षेत्र के बिना (निम्नलिखित) संकर्म (works) / कार्य, कर सकेगा यथा :–

(a) किसी स्ट्रीट (पथ), रेलवे, ट्रामवे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए (and pavement of) भूमि को खोलना तथा अलग करना,
(b) पथ, रेलपथ, ट्रामवे मे या उसके अधीन नाली, मोरी, सुरंग को खोलना तथा अलग करना
(c) मुख्य(sewer) की नाली का पाइप छोड़कर अन्य लाइनों, कार्यो अथवा पाइपों की स्थिति को बदलना,
(d) विद्युत लाइनों को डालकर तथा विद्युत संयंत्र को रखकर स्थापित करना और संकर्मो को करना,
(e) उसकी मरम्मत करना, परिवर्तन करना या हटाना
(f) विद्युत के पारेषण और सप्लाई के लिए समस्त अन्य आवश्यक कार्य करना।

(ii) **धारा 164. टेलीग्राफ प्राधिकारी का कतिपय मामलों में शक्तियों का प्रयोग करना–** समुचित सरकार, विद्युत के पारेषण के लिए विद्युत लाइनों या विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए या टेलीफोन या टेलीग्राफ संबंधी संचारण / संप्रेषण, संकर्मो के समुचित समन्वयन के लिए

आवश्यक हो, किसी पब्लिक आफीसर, लायसेंसी या अन्य कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विद्युत सप्लाई के कारोबार में संलग्न पर लिखित में आदेश द्वारा प्रदान कर सकेगी ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जैसा कि समुचित सरकार अधिरोपण करना उचित समझे और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 (13/1885) के उपबंधों की कोई शक्तियॉ, जो टेलीग्राफ प्राधिकारी उस अधिनियम के अधीन टेलीग्राम लाइनों की स्थापना के बारे में शक्तियॉ रखते हैं और Posts सरकार द्वारा स्थापित या संधारित टेलीग्राम इस प्रकार स्थापित या संधारित होने के प्रयोजन के लिए शक्तियॉ प्रदत्त की जा सकेंगी।

12 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 उप धारा 2 के क्लाज (ई) एवं धारा 67 के परिपालन में केन्द्रीय सरकार को लायसेंसी द्वारा किये जाने वाले कार्य के नियम बनाने का प्रावधान है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा The Works of Licensees Rules, 2006 का गजट नोटिफिकेशन किया गया जिसके अनुसार –

The Works of Licensees Rules, 2006

3. Licensee to carry out works -(1) A licensee may -

(a) carry out works, lay down or place any electric supply line or other works in, through, or against, any building, or on, over or under any land whereon, where over or where under any electric supply-line or works has not already been lawfully laid down or placed by such licensee, with the prior consent of the owner or occupier of any building or land;

(b) fix any support of overhead line or lay stay or strut required for the purpose of securing in position any support of an overhead line on any building or land or having been so fixed, may alter such support;

Provided that in case where the owner or occupier of the building or land raises objections in respect of works to be carried out under the rule, the licensee shall obtain permission in writing from the District Magistrate or the Commissioner of Police or any other officer authorised by the State Government in this behalf, for carrying out the works;

Provided further that if at any time, the owner or occupier of any building or land on which any works have been carried out or any support of an overhead line, stay or strut has been fixed shows sufficient cause, the District Magistrate or the Commissioner of Police, of the officer authorised may by order in writing direct for any such works, support, stay or strut to be removed or altered.

(2) When making an order under sub-rule (1), the District Magistrate of the Commissioner of Police or the officer so authorised, as the case may be, shall fix, after considering the representations of the concerned person, if any, the amount of compensation or of annual rent, or of both, which should in his opinion be paid by the licensee to the owner or occupier.

(3) Every order made by a District Magistrate or a Commissioner of Police or an authorised officer under sub-rule (1) shall be subject to revision by the Appropriate Commission.

(4) Nothing contained in this rule shall effect the powers conferred upon any licensee under section 164 of the Act.

अतः आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, तर्कों एवं विद्युत अधिनियम 2003 एवं द वर्क्स ऑफ लायसेंसी 2006 में दिये गये प्रावधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

(i) यद्यपि लायसेंसी रूल्स 2006 की धारा 3(1) के अनुसार लायसेंसी को आवेदक के यहॉ खम्बे खड़े करने के पूर्व सूचना देकर सहमति प्राप्त करना चाहिए थी जो कि उनके द्वारा नहीं किया जाना पाया गया।

(ii) अनावेदक को आवेदक द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्य करने से पूर्व डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट अथवा कमिश्नर ऑफ पुलिस से कार्य करने हेतु सम्पूर्ण अनुमति ली जानी थी परन्तु अनावेदक द्वारा इस नियम का भी पालन नहीं किया गया।

(iii) चूंकि उक्त कार्य किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित न होकर जनहित में पूर्ण किया गया एवं लाइन की शिफि्टग आवेदक के अनुसार किया जाना संभव नहीं है ।

(iv) द वर्क्स ऑफ लायसेंसी रूल्स 2006 के अनुसार आवेदक डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट अथवा कमिश्नर ऑफ पुलिस को उक्त कार्य से होने वाले नुकसान या उत्पन्न होने वाली बाधा से अवगत कराने के संबंध में लिखित शिकायत कर सकता है और यदि डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट अथवा कमिश्नर ऑफ पुलिस यह पाते हैं कि आवेदक की शिकायत उचित है तो वे लाइन हटाने एवं परिवर्तित करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दे सकते हैं अथवा उक्त कार्य से हुए नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करके अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकते हैं।

13 उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विद्युत लोकपाल को विद्युत अधिनियम, 2003 एवं द वर्क्स ऑफ लायसेंसी रूल्स 2006 के अंतर्गत लाइन अन्यत्र परिवर्तित कराने अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रकरण समाप्त कर आवेदक को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर अपनी शिकायत का निराकरण प्राप्त करें ।

14 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल